

26/11/25

अधिवक्ता अपीलॉट उप। अधिवक्ता अपी.  
ने अपीलॉट को नोटीस प्रेषित कर  
उसकी ड्रेड रिपोर्ट पेश की कर  
निवेदन किया कि अपीलॉट की ओर  
से पैरवी की हिदायत नहीं है। अपी.  
अनु। न्यायालय समय में अपीलॉट को  
बार-बार आवाजे लगाई गई। लेकिन  
उसकी ओर से कोई उप. नहीं आया।  
अतः पत्रावली अदम्य हाजरी अदम्य पैरवी  
में खारिज की जाती है।